

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या- 10/2011-12

विज्ञापन संख्या: 10/संयुक्त विज्ञापन/भर्ती/2011-12

दिनांक: 06-09-2011

- निम्नलिखित पदों की भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाइन आवेदन-पत्र (On-line Application Form) पर आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो आयोग द्वारा नियमानुसार उन पदों में कमी या बढ़ोतरी करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक आवेदन करना होगा:-
विशेष नोट :- (1) On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु कोई पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
(2) आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अध्याधीन परिवर्तनीय होगी।
- अनेक पदों के लिए आवेदन:- यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करता है, तो उसे प्रत्येक पद हेतु परीक्षा शुल्क पृथक से जमा कराना होगा और प्रत्येक के लिए पृथक आवेदन पत्र भी भरना होगा किन्तु दूसरा आवेदन पत्र भरने समय निर्धारित स्थान पर Yes क्लिक करें और तदुपरान्त उसके नीचे दिखने वाले खाली स्थान में आवश्यक रूप से प्रथम आवेदन-पत्र का आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID) अंकित करें। यदि कोई अभ्यर्थी दूसरा आवेदन पत्र भरते समय अपने प्रथम आवेदन का क्रमांक नहीं भरता है तो वह दूसरे पद की परीक्षा के लिए निरस्त (Reject) कर दिया जाएगा।
नोट : 1. अभ्यर्थी आवश्यक रूप से अपना आवेदन पत्र क्रमांक नोट कर लें ताकि अनेक पदों के लिए आवेदक या आवेदन संबंधी सूचना प्राप्त करने में सुविधा हो। यह भी ध्यान दें कि आवेदन पत्र क्रमांक ई-मित्र या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर नहीं है, बल्कि आवेदन पत्र भरने के उपरान्त कम्प्यूटर से जारी किया गया आवेदन क्रमांक है।
2. उल्लेखनीय है कि एक बार भरे गये आवेदन पत्र में पद एवं विषय के अतिरिक्त अन्य सभी सूचनाएं स्वतः ही दूसरे आवेदन पत्र में अंकित हो जाएगी, बशर्ते अभ्यर्थी द्वारा प्रथम आवेदन पत्र का क्रमांक द्वितीय आवेदन पत्र में अंकित कराया जाए। यदि अभ्यर्थी दो से अधिक आवेदन पत्र भर रहा है, तब भी उसमें प्रथम आवेदन पत्र का ही क्रमांक भरते जाएं।
3. यदि कोई अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र क्रमांक भूल गया है तो वेब-साइट से अपना टोकन नम्बर और जन्म तिथि भरकर आवेदन-पत्र क्रमांक की जानकारी कर सकता है।
- प्रवेश-पत्र-आयोग द्वारा समस्त ऑन लाइन आवेदनों में वेब-साइट के माध्यम से ही ऑन लाइन प्रवेश-पत्र जारी किए जाएंगे और आयोग द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा। वेब-साइट पर प्रवेश-पत्र जारी किए जाने की सूचना परीक्षा की तिथि तय होने के उपरान्त समाचार पत्रों एवं वेब-साइट के माध्यम से शीघ्र जारी की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र वेब-साइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र क्रमांक एवं जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. (e-mail ID) एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जा सकती है। हाथ से भरे गए आवेदन-पत्र किसी भी रूप में आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- आवेदन प्रक्रिया- आवेदन On line Application Form में लिये जाएंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रुपये 40/- (रु. 35/- आवेदन-पत्र भरने हेतु। रुपये 5/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना चाहता है, तो वह ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.gov.in> या rpsconline.rajasthan.gov.in से स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहां परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र रुपये 5/- ही सेवा शुल्क देना होगा। ऑन-लाइन आवेदन-पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेब-साइट पर उपलब्ध है। कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को 35/- रुपये की रसीद पृथक से कटवानी होगी। आयोग द्वारा हाथ से भरे गए फॉर्म किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

संग्रहाध्यक्ष (Curator), पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के पदों की राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम, 1960 के अन्तर्गत भर्ती। पद स्थाई होने की सम्भावना के हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

क. सं.	पद एवं विभाग का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)							
			सामान्य वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग	
			सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला
1	संग्रहाध्यक्ष (Curator), पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	5	3	1	1	-	-	-	-	-

नोट :-

- उपरोक्त सारणी में राजस्थान की अनुसूचित जाति के लिये दर्शाए गए आरक्षित पद जो कि दिनांक 10-10-2002 के पश्चात् का है, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और इन आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जाएगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।
- महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।
स्पष्टीकरण :- किसी वर्ग (सामान्य वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। **पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।**

शैक्षणिक योग्यता :-

प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में द्वितीय श्रेणी में स्नात्कोत्तर उपाधि

“परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम की अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।”

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

आयु :- दिनांक 01.01.2012 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए और 37 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :-

(1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार :-

“यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।”

स्पष्टीकरण : आयोग द्वारा इन पदों को वर्ष 2005 में विज्ञापित किया गया था। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2012 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

- (2) ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में :- सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति के पुरुष एवं महिला के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (3) कैडेट इन्स्ट्रक्टर के मामले में उतनी ही अवधि के बराबर की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणमित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
- (4) राजस्थान आर्कियोलोजी व म्यूजियम सेवा के अर्न्तगत सेवारत समस्त व्यक्ति यदि वे राज्य या अधीनस्थ वर्गों में पद धारित किये हों या उक्त सेवा के निम्नतर वर्ग में पद ग्रहण किये हों, को पाँच वर्ष की छूट देय होगी।
- (5) भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद भी पर मौलिक (सबस्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- (6) अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
- (7) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
- (8) राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (Substantive) रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- (9) रिजर्विस्ट्स जिनका रक्षा सेवा कर्मचारी पद से रिजर्व में स्थानान्तरण हो गया है, के लिये अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
- (10) रिलीज्ड इमर्जेंसी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए आयु सीमा में थे तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय आयु सीमा के अन्तर्गत ही समझा जावेगा चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करते समय इस प्रकार पात्र थे।
- (11) राजस्थान पंचायत समितियों, जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई (Substantive) रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

नोट:- उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 11 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

वेतनमान :- रनिंग पे-बेण्ड संख्या-2 (रूपये- 9300-34800), ग्रेड-पे सं.-13 (रूपये 4200/-)

ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किए जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जाएगा।

अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं। **कार्य :** विभाग द्वारा पद से सम्बन्धित निर्धारित कार्य। **महंगाई भत्ता :** नियमानुसार।

परिवीक्षा काल (प्रोबेशन)/प्रशिक्षण/अन्य सुविधाएं : नियमानुसार। **मुख्यालय :** राजस्थान प्रदेश में। **पेंशन:-** दिनांक 01-01-2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी (Probation & Prison Welfare Officer), एवं जिला परिवीक्षा सह समाज कल्याण अधिकारी (District Probation Cum Social Welfare Officer), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पदों की राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 के अन्तर्गत भर्ती। पद स्थाई हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार से है :-

क्रम सं.	पद एवं विभाग का नाम	रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)						निःशक्तजन B/LV
			सामान्य	महिला	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग		
					सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	
2.	परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	23	9	3	3	1	3	-	3	1	1
3.	जिला परिवीक्षा सह समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-

नोट :- कम संख्या 2 के पदों हेतु :-

(1) उपरोक्त सारणी में राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये दर्शाए गए सभी आरक्षित पदों जो कि दिनांक 10-10-2002 के पश्चात् के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और इन आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जाएगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।

(2) **निःशक्त व्यक्तियों के लिए :-**

(अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम के अनुसार उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है :-

Blindness or Low vision (B./L.V.)

B - Blind L.V.- Low Vision

(ब) निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

- (स) उपरोक्त दर्शाए गए निःशक्तजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम के अनुसार भरा जाएगा। निःशक्तजन के उक्त नियम के अनुसार उपरोक्त निःशक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो वहाँ ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षों तक अग्रणीत किया जाएगा।
- (द) निःशक्तजन आवेदक On line Application Form में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।
- (य) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण-पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।
- (3) महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।
- स्पष्टीकरण**—किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नॉन-क्रीमीलेयर का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। **पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।**
- (4) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।

नोट:- पद कम संख्या 3 के लिए :-

- (1) महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।
- स्पष्टीकरण**—किसी वर्ग (सामान्य वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नॉन-क्रीमीलेयर का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। **पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।**

शैक्षणिक योग्यताएं :- कम संख्या 2 के पदों हेतु :-

1. (अ) भारत में विधि द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्य संस्थान से समाज शास्त्र/समाज कार्य में एम.ए.;
या
(ब) (I) भारत में विधि द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक ;
(II) साथ स्नातकोत्तर डिप्लोमा समाज शास्त्र/समाज कार्य या करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन में; या साथ भारत में विधि द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्य संस्थान से करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रमाण पत्र (एक वर्ष का पाठ्यक्रम)।
2. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

योग्यताएं :- कम संख्या 3 के पदों हेतु :-

1. (अ) भारत में विधि द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्य संस्थान से कम से कम द्वितीय श्रेणी में समाज शास्त्र या समाज कार्य में एम.ए. या
(ब) भारत में विधि द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्य संस्थान से कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक साथ डिप्लोमा (दो वर्ष का पाठ्यक्रम) सोशियल साइन्स/समाज कल्याण/करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन में।
2. विधि स्नातक को प्राथमिकता दी जावेगी।
3. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

कम संख्या 2 व 3 के पदों की प्रथम योग्यता के साथ यह परन्तु क भी लागू होगा कि :-

परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

स्पष्टीकरण— यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में अथवा परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

आयु :- दिनांक 01-01-2012 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए और 32 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :-

- (1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार :-
“यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।”
- स्पष्टीकरण** : उक्त दोनों पदों को आयोग द्वारा वर्ष 2008 में विज्ञापित किये गये थे तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2012 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट देय होगी।
- (2) राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेकर अपवादीय मामलों में पाँच वर्ष की छूट दे सकती है।
- (3) ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में :- **(1) परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी के पद हेतु :-**(अ) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के मामले में पाँच वर्ष की छूट दी जायेगी। **(ब)** राजस्थान की अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के मामले में पाँच वर्ष की छूट दी जायेगी।
(2) जिला परिवीक्षा सह समाज कल्याण अधिकारी के पदों हेतु:- सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पाँच वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (4) “मेम्बर्स ऑफ दी सर्विस” को उच्च पदों के लिये सीधी भर्ती हेतु आवेदन करने पर दो अवसरों तक अधिकतम आयु में 15 वर्ष की छूट होगी।

Note:- Definition of "Member of the Service" as per the Rajasthan Social Welfare Subordinate Service Rules is as follows:-
"Member of the Service" means a person appointed to a post in the service on the basis of regular selection under the provisions of these rules or the rules or order superseded by these rules."

- (5) भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (सबर्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- (6) अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
- (7) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
- (8) कैडेट इन्स्ट्रक्टर के मामले में उतनी ही अवधि के बराबर की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्त परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
- (9) राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सबर्टेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- (10) सन् 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- (11) राजस्थान पंचायत समितियों, जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/ निगमों के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई (सबर्टेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- (12) राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम के अनुसार पदों के सामने विज्ञापन में दर्शाई गई श्रेणी के निःशक्त व्यक्तियों को, पहले से ही सेवा नियमों में विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित रूप से शिथिलीकृत किया जा सकेगा :-
(क) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष, (ख) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष; और
(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष की छूट दी जाएगी।

नोट:- उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 12 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

वेतनमान :- कम संख्या 2 के पदों हेतु :-रनिंग पे-बेण्ड सं.2 (9300- 34800),ग्रेड पे-सं.-12 (रूपये-3600/-) एवं

कम संख्या 3 के पदों हेतु :- रनिंग पे-बेण्ड सं. 2 (9300-34800), ग्रेड पे-सं.-13 (रूपये-4200/-)

ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा।

अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं। कार्य :- समाज के कल्याण सम्बन्धित समस्त कार्य।

परिवीक्षा काल (प्रोबेशन)/प्रशिक्षण/अन्य सुविधाएं : नियमानुसार। **महंगाई भत्ता :** नियमानुसार।

मुख्यालय : राजस्थान राज्य में कहीं भी। **पेंशन :-** दिनांक 01-01-2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य

कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

नर्सिंग ट्यूटर (Nursing Tutor) एवं फिजियोथेरापिस्ट (Physiotherapist), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पदों की राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के अन्तर्गत भर्ती। पद अस्थाई- स्थाई होने की संभावना के हैं। कुल पदों संख्या एवं आरक्षण की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	पद/विभाग का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)												विकलांग L.D.C.P. (OL)	भूतपूर्व सैनिक
			सामान्य वर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			पिछड़ा वर्ग				
			सा.	सा.म.	वि.	सा.	सा.म.	वि.	सा.	सा.म.	वि.	सा.	सा.म.	वि.		
4.	नर्सिंग ट्यूटर (Nursing Tutor), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	*60 वर्तमान के **TSP का 1 पद	23	7	2	7	2	-	5	2	-	9	3	-	1	7
5.	फिजियोथेरापिस्ट (Physiotherapist), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	*35 वर्तमान के **TSP का 1 पद	14	4	1	4	1	-	3	1	-	5	2	-	1	4

संक्षिप्ताक्षर:- सा.=सामान्य पद, सा.म.= सामान्य महिला एवं वि.= विधवा

नोट:-

- (1) * राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्तमान के आरक्षित पदों जोकि दिनांक 10-10-2002 के पश्चात् के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को किन्ही भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जावेगा और इन आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।
- (2) ** राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12-9-07 के अनुसार दर्शाये गये अनुसूचित क्षेत्रों (TSP Area) के अनुसूचित जन जाति हेतु आरक्षित पद अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के स्थानीय सदस्यों से भरे जायेंगे।
- (3) निःशक्त व्यक्तियों के लिए :-
(अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम के अनुसार उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है :-
Locomotor Disability & cerebral palsy (L.D. & C.P.)
O.L.- One leg affected (R or L)
(a)impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic
- (ब) निःशक्तजन के लिए दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा।
- (स) उपरोक्त दर्शाये गये निःशक्तजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम के अनुसार भरा जायेगा। निःशक्तजन के उक्त नियम के अनुसार उपरोक्त निःशक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो वहाँ ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षों तक अग्रणीत किया जावेगा।
- (द) निःशक्तजन आवेदक On line Application Form में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

- (य) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जावेगा।
- (4) महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।
स्पष्टीकरण:- किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमिलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।**
- (5) महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाये गये पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसी वर्ग (सामान्य वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
- (6) **भूतपूर्व सैनिकों के लिए:-** (1) भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों हेतु आवेदन करने वाले आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत्त हो जाना आवश्यक है अन्यथा लाभ देय नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों का लाभ देय नहीं होगा। (2) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
- (7) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।

शैक्षणिक योग्यता:- कम संख्या 4 के पदों हेतु :-

- (1) बी.एससी. (नर्सिंग) या इसके समकक्ष योग्यता जो राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो,
- (2) RNC में रजिस्टर्ड
- (3) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

कम संख्या 5 के पदों हेतु:-

- (1) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सैकण्डरी या इसके समकक्ष योग्यता साथ सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा
- (2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

कम संख्या 4 व 5 के पदों की प्रथम योग्यता के साथ यह परन्तुक भी लागू होगा कि:-

परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम की अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में तथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है, में सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वांछित योग्यता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

आयु:-दिनांक 01.01.2012 को 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिये और 35 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिये लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :-

- (1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार :-
"यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।"
स्पष्टीकरण :- आयोग द्वारा नर्सिंग ट्यूटर के पद वर्ष 2008 में विज्ञापित किए गए थे तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2012 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट देय होगी।
- (2) ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में -
(क) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष ;
(ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष; और
(ग) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (3) भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद भी पर मौलिक (सबस्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- (4) अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
- (5) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
- (6) कैडेट इन्स्ट्रक्टर के मामले में उतनी ही अवधि के बराबर की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्त परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
- (7) कीनिया, टंगानिका, उगाण्डा और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
- (8) राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सबस्टेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- (9) रिलीज्ड इमर्जेंसी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए आयु सीमा में थे तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय आयु सीमा के अन्तर्गत ही समझा जावेगा चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करते समय इस प्रकार पात्र थे।
- (10) सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
स्पष्टीकरण : विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करना होगा)

- (11) सन् 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- (12) पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- (13) राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष प्राप्त नहीं करनी चाहिये परन्तु सैन्य क्रॉस/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष शिथिल करने योग्य होगी।
- (14) राजस्थान निःशक्तजन का नियोजन नियम के अनुसार पदों के सामने विज्ञापन में दर्शाई गई श्रेणी के निःशक्त व्यक्तियों को, पहले से ही सेवा नियमों में विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए अधिकतम आयु सीमा में इस प्रकार से छूट दी जावेगी :-
- (क) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष,
- (ख) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष; और
- (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष की छूट दी जावेगी।

नोट:- उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 14 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

वेतनमान :- कम संख्या 4 व 5 के लिए :- रनिंग पे-बेण्ड सं. 2 (9300-34800), ग्रेड पे सं. 12 (रूपये 3600/-)

ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किए जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जाएगा। **उच्चतर प्रारम्भिक वेतन : नहीं।**

महंगाई भत्ता : नियमानुसार। **परिवीक्षा काल (प्रोबेशन)/प्रशिक्षण/अन्य सुविधाएं :** नियमानुसार।

कार्य एवं मुख्यालय:- नर्सिंग ट्यूटर के लिए:- कार्य:- ए.एन.एम./जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों पर अध्यापन कार्य।

मुख्यालय:- संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र।

फिजियोथेरापिस्ट पद हेतु:- कार्य:- परिचर्या सम्बन्धी कार्य। **मुख्यालय :-** राजस्थान राज्य में स्थित संस्थानों में।

पेंशन:- (दोनों पदों के लिए) दिनांक 1-1-2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

तकनीकी सहायक (भू-जल विज्ञान)(Technical Assistant(HydroGeology), भू-जल विभाग के पदों की राजस्थान भू-जल अधीनस्थ सेवा नियम, 1973 के अन्तर्गत भर्ती। पद अस्थाई- स्थाई होने की संभावना का है। कुल पदों की संख्या एवं आरक्षण की स्थिति निम्नानुसार है :-

कम. सं.	पद एवं विभाग का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)							
			सामान्य वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग	
			सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला
6	तकनीकी सहायक (भू-जल विज्ञान), भू-जल विभाग	7	1	-	2	-	3	1	-	-
			ये पद बैकलॉग के हैं।				ये पद बैकलॉग के हैं।			

नोट:-

- (1) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के आरक्षित पदों, जोकि दिनांक 10-10-2002 के पूर्व के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22-6-2004 के अनुसरण में सामान्य प्रक्रिया से (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से भिन्न अभ्यर्थियों) भरा जाएगा। इन पदों का विज्ञापित वर्ष ही चयन वर्ष माना जाएगा।
- (2) महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।
- स्पष्टीकरण:-** किसी वर्ग (अनुसूचित जनजाति) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमिलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।**

शैक्षणिक योग्यताएं :-

- (1) भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय से भू-विज्ञान (Geology) या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान (Applied Geology) में एम.एससी./एम.टेक./एम.एससी. (टेक.) या इण्डियन स्कूल ऑफ़ माईन्स, धनबाद से अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान में डिप्लोमा। परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम की अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में तथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है, में सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।
- (2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।
- स्पष्टीकरण:-** यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वांछित योग्यता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

आयु:-दिनांक 01.01.2012 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिये और 37 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिये लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :-

- (1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार :-
"यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।"
- स्पष्टीकरण :-** आयोग द्वारा उक्त पद वर्ष 1996 में विज्ञापित किए गए थे तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2012 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।
- (2) **(क)** राजस्थान की अनुसूचित जाति के पुरुष एवं महिला तथा राजस्थान की अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष; **और**
(ख) राजस्थान की अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के में मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

- (3) भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद भी पर मौलिक (सबस्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- (4) अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
- (5) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
- (6) कैडेट इन्स्ट्रक्टर के मामले में उतनी ही अवधि के बराबर की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
- (7) कीनिया, टंगानिका, उगाण्डा और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
- (8) राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सबस्टेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- (9) रिलीज्ड इमर्जेंसी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए आयु सीमा में थे तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय आयु सीमा के अन्तर्गत ही समझा जावेगा चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करते समय इस प्रकार पात्र थे।
- (10) सन् 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- (11) पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों /निगमों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

नोट:- उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 11 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

वेतनमान :- रनिंग पे-ब्रेण्ड सं. 2 (9300-34800), ग्रेड पे सं. 12 (रूपये 3600/-)

ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किए जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जाएगा।

उच्चतर प्रारम्भिक वेतन : नहीं।

महंगाई भत्ता : नियमानुसार।

कार्य : हिन्दी में लिखने व पढ़ने का कार्य करने का अनुभव। भू-जल सर्वे से सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित करना।

परिवीक्षा काल (प्रोबेशन)/प्रशिक्षण/अन्य सुविधाएं : नियमानुसार।

मुख्यालय: संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र

पेंशन:-दिनांक 1-1-2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आयुर्वेद विभाग के लिए सहायक निदेशक आयुर्वेद/जिला आयुर्वेद अधिकारी/प्रभारी अधिकारी फार्मसी (Assistant Director Ayurved/ District Ayurved Officer/Officer Incharge Pharmacy) के पदों की राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 के अन्तर्गत भर्ती। पद स्थाई होने की सम्भावना के हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	पद एवं विभाग का नाम	रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग			आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)								
						अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			पिछड़ा वर्ग		
			सा.	सा.म.	वि.	सा.	सा.म.	वि.	सा.	सा.म.	वि.	सा.	सा.म.	वि.
7	सहायक निदेशक आयुर्वेद/ जिला आयुर्वेद अधिकारी/प्रभारी अधिकारी फार्मसी, आयुर्वेद विभाग	24	10	3	1	3	-	-	2	-	-	4	1	-

संक्षिप्ताक्षर- सा.= सामान्य, सा.म.= सामान्य महिला, वि.= विधवा

नोट :-

- (1) राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्तमान के आरक्षित पदों, जोकि दिनांक 10-10-2002 के पश्चात् के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और इन आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।
- (2) महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण :- किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।**
- (3) महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाये गये पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसी वर्ग (सामान्य वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
- (4) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।

शैक्षणिक योग्यताएँ :-

- (1) आयुर्वेद विभाग (राजस्थान सरकार) में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के रूप में नियमित रूप से नियुक्त साथ में 10 वर्ष का अनुभव।
- (2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

नोट:- आवेदकों को वैधित अनुभव आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है अन्यथा अपात्र।

आयु :-दिनांक 01.01.2012 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए और 45 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :-

- (1) ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में :-

(क) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के पुरुष एवं महिला तथा राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष; (ख) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष और

(ग) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

- (2) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
- (3) सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
(स्पष्टीकरण : विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा)
- (4) आयुर्वेद में स्नातकोत्तर डिग्रीधारक अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी।
नोट:- उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 1 से 4 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

वेतनमान :- रनिंग पे-बेण्ड सं. 3 (15600-39100), ग्रेड पे-सं. 16 (रूपये-6000/-)

अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं। परिवीक्षा काल (प्रोबेशन)/प्रशिक्षण/अन्य सुविधाएं : नियमानुसार। कार्य :-नियमानुसार। महंगाई भत्ता : नियमानुसार। मुख्यालय : सहायक निदेशक-संभाग/निदेशालय मुख्यालय पर, जिला आयुर्वेद अधिकारी-जिला मुख्यालय पर, प्रभारी अधिकारी फार्मसी-राज्य में संचालित फार्मसी में।

आयुर्वेद विभाग के लिए विवेचक (Demonstrator) के पदों की राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 के अन्तर्गत भर्ती। पद स्थाई होने की सम्भावना के हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	पद एवं विभाग का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग			आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)								
			सा.	सा.म.	वि.	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			पिछड़ा वर्ग		
						सा.	सा.म.	वि.	सा.	सा.म.	वि.	सा.	सा.म.	वि.
8	विवेचक (Demonstrator), आयुर्वेद विभाग	10	5	1	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-

संक्षिप्ताक्षर- सा.= सामान्य, सा.म.= सामान्य महिला, वि.= विधवा

नोट :-

- (1) राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्तमान के आरक्षित पदों, जोकि दिनांक 10-10-2002 के पश्चात् के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और इन आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।
- (2) महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण :- किसी वर्ग (सामान्य वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।**
- (3) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।

शैक्षणिक योग्यताएं :-

- (1) 5 वर्षीय आयुर्वेद डिग्री कोर्स (बी.ए.एम.एस.)

परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम की अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

- (2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

आयु :-दिनांक 01.01.2012 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए और 45 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :-

- (1) ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में :-

(क) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष; और (ख) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

- (2) रिजर्विस्ट, जिनका रक्षा सेवा कर्मचारी दल से रिजर्व में स्थानान्तरण हो गया हो, के लिए आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
- (3) भूतपूर्व कैदी, जो दण्डित होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (सब्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- (4) अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
- (5) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
- (6) कैडेट इन्स्ट्रक्टर के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
- (7) रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय, चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जावेगा।
- (8) आयुर्वेद में स्नातकोत्तर डिग्रीधारक अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी।

नोट:- उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 1 से 8 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

वेतनमान :- रनिंग पे-बेण्ड सं. 3 (15600-39100), ग्रेड पे-सं. 15 (रूपये-5400/-)

ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और पद का विज्ञापन में

अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा।

अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं। कार्य :- नियमानुसार। परिवीक्षा काल (प्रोबेशन)/प्रशिक्षण/अन्य सुविधाएं :
नियमानुसार। **महंगाई भत्ता :** नियमानुसार। **मुख्यालय :** राजकीय आयुर्वेद नर्स-कमपाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर/जोधपुर।
पेंशन:-दिनांक 01-01-2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5. **अन्तिम दिनांक :-** आवेदन की अन्तिम दिनांक 5 अक्टूबर, 2011 को रात्रि 12-00 बजे तक (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑन-लाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना समय सीमा के भीतर ऑन-लाइन आवेदन करें।
6. **संवीक्षा परीक्षा का स्थान, माह एवं योजना :-**
निर्धारित अनिवार्य योग्यताएँ न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। जब किसी विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होगी और आयोग के लिए इन सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करना सुविधाजनक या संभव नहीं होगा तो आयोग विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं और अनुभव से उच्च योग्यताओं और अनुभव के आधार पर अथवा संवीक्षा परीक्षा द्वारा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है।
संवीक्षा परीक्षा वस्तुपरक प्रकार (Objective Type) की होगी और अजमेर में आयोजित की जाएगी, जिसकी तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत यथाशीघ्र रखी जाएगी। परीक्षा तिथि की सूचना भी शीघ्र जारी की जाएगी। संवीक्षा परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन कर सकता है। यदि आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा केन्द्र का निर्धारण अजमेर जिले से बाहर अन्य जिलों में भी किया जा सकता है।
7. **परीक्षा शुल्क:-**आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से आयोग को भेजें:-
(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - **रुपये 250/-**
(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु- **रुपये 150/-**
(ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक हेतु- **रुपये 50/-**
नोट :-1. ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क **रुपये 40/-** (रुपये 35 आवेदन पत्र भरने हेतु + **रुपये 5/-** परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) अतिरिक्त रूप में सभी को देने होंगे।
2. ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन-पत्र का प्रारूप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध होगा।
3. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं।
4. आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी जहाँ ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) नहीं हैं वे आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूची से उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। उनकी सुविधा के लिए उनके दूरभाष नम्बर भी उपलब्ध हैं।
5. **अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।**
8. **आवेदन कैसे करें :-** अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।
नोट :- राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी के रूप में ही आवेदन प्रस्तुत करें।
9. **अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में :-** सभी आवेदक, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, को अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये। यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।
10. **नियुक्ति के लिये अयोग्यता :-**
1. किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
3. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :-
परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जाएगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती :
परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतः प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।
परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतः प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।
4. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण-पत्र यथा समय वांछनीय होगा।
5. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।
स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजन हेतु "दहेज" से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में दिया गया है। (1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28)
6. आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन-पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।
11. **अनुचित साधनों की रोकथाम :-**परीक्षार्थी को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने

पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/dissorderly conduct/Using/ attempting to use unfairmeans during the course of examination" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर दी गई है।

12. **श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधा** :- सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम में वर्णित नेत्रहीन व ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है, उन्हें परीक्षा के पूर्व आयोग कार्यालय को प्रार्थना-पत्र वांछित प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी। श्रुतलेखक को वीक्षक, केन्द्राधीक्षक व अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही कार्य करना होगा।

13. **कृपया ध्यान दें :-**

i. **On line Application Form** आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जायेगा। आवेदक आवेदन-पत्र प्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनायें संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा अथवा **On line Application Form** में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

ii. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि **On line Application Form** भरने से पूर्व आयोग के विज्ञापन एवं **On line Application Form** भरने के निर्देशों के साथ-साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।

iii. आयोग कार्यालय द्वारा **On line Application Form** में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जायेगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका **On line Application Form** अस्वीकृत कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। **On line Application Form** में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाएगा।

iv. विज्ञापित पदों के विरुद्ध अधिक संख्या में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उन पदों की संवीक्षा परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। संवीक्षा परीक्षा के उपरांत सफल आवेदकों को आयोग द्वारा विस्तृत आवेदन-पत्र भेजकर भरवाया जाएगा। आवेदकों से विस्तृत आवेदन-पत्र मय आवश्यक दस्तावेज के प्राप्त होने पर उनकी नियमानुसार परिनिरीक्षा किये जाने के पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

14. **प्रमाण-पत्रों का सत्यापन** :-आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा जिसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ (जो कि संवीक्षा परीक्षा में सफल होने पर अथवा सीधे साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले आवेदकों से भरवाए जाएंगे) भेजना आवश्यक है। अतः यह सुनिश्चित कर लें कि :-

(अ) जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।

(ब) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं।

(स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन का प्रमाण-पत्र **On line Application Form** प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिये अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।

(द) राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को **On line Application Form** पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करना होगा।

(य) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर क्रमशः दिनांक 10.10.08 एवं 25.08.09 के पश्चात् जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसे आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।

(ल) निःशक्त जन का चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्त जन की चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो जो कि **On line Application Form** की प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक का जारी किया हुआ होना चाहिए।

नोट :-आयोग द्वारा आवेदकों को संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार में अनन्तिम (**Provisional**) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार में केवल मात्र उसे प्रवेश-पत्र/साक्षात्कार-पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य शर्तें आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इन पदों हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

आयोग की वेबसाइट:-

उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.gov.in> या rpsconline.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी एवं संवीक्षा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष 0145-5151200 एवं 5151240 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

विशेष टिप्पणी :-

(1) परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात् 72 घण्टे में (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रस्तुत कर दें। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जाएगी। तीन दिवस के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

(2) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आएंगे। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पेन, पेंसिल, प्रवेश-पत्र या आयोग द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान लोक सेवा आयोग किसी की भी नहीं होगी।

- (3) जिस परिसर के भीतर भर्ती परीक्षण आयोजित किया जा रहा है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित उम्मीदवार के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
- (4) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे भर्ती परीक्षण स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।
- (5) इन पदों से संबंधित समस्त सूचनाएं आवेदकों को विज्ञापन में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- (6) आयोग को आवेदन-पत्र भेजने हेतु एवं अन्य पत्र व्यवहार करते समय निम्नलिखित पते का उल्लेख करें :-
सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर पिन कोड नं. 305026.

(डॉ.के.के. पाठक)
सचिव

क्रमांक: विज्ञापन संख्या :- 10/सं. विज्ञापन/भर्ती/2011-12/644-659

दिनांक : 06-09-2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को आयोग का विज्ञापन संख्या : 10/सं. विज्ञापन/भर्ती/2011-12 दिनांक : 06.09.2011 की प्रतियाँ राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर के दिनांक 15.09.2011 के अंक में विस्तृत विज्ञापन केवल एक बार प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित है।

विज्ञापन संख्या - 10/सं. विज्ञापन/भर्ती/2011-12 जिस पत्र के साथ समाचार पत्रों को भेजा जाए उसकी एक प्रति इस कार्यालय को आयोग के सूचनार्थ कृपया पृष्ठांकित करें। इन समाचार पत्रों के विज्ञापन प्रबन्धकों से भी कृपया अनुरोध किया जाए कि आयोग का विज्ञापन नवीनतम दैनिक संस्करण में हर हालत में प्रकाशित करें। साथ ही उन्हें यह भी अनुरोध किया जाए कि प्रकाशित विज्ञापन की कटिंग की एक प्रति (निःशुल्क) निम्नलिखित पते पर सीधे ही भेजें क्योंकि प्रकाशित विषय सामग्री की सत्यता की जांच करना आवश्यक है।

अनुभाग अधिकारी, विज्ञापन अनुभाग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

1. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 11 (5) कार्मिक/ख-1/2011/दिनांक 24.05.2011 एवं 05.08.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. निदेशक, निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर को पत्र क्रमांक: एफ 4 (ई) परीक्षा/2009 एवं 2010/अ.ले.से.-III/5986-88 दिनांक 18.07.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
3. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांक सं.प.2(2)प्र.सं./अनु.3/2002-पार्ट दिनांक 30.08.11 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
5. उप शासन सचिव, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक सं. 5 (20)कं.सं./05 दिनांक 03.11.10 एवं 05.05.11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
6. निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 2(33) पुसं./स्था/पार्ट/6101 दिनांक 15.07.11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
7. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ 1(1)पी1/स्था./सान्याअवि/10/19877 दिनांक 15.12.2010 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
8. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक सं. नर्सिंग/पदो./न.ट./अर्थना/ (एफ-141)/11/173 दिनांक 16.05.11 एवं 02.08.11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
9. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ ।
10. मुख्य अभियन्ता, भू-जल विभाग, जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ.1(9)स्था/भूजवि/2011/482 दिनांक 20.05.11 एवं 29.07.11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
11. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक सं. एफ.10 (5)आयु./11 दिनांक 01.08.11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
12. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक प. 1/प्रति-1/सीधी भर्ती/न.क.प्रशि./07/27521 दिनांक 25.08.11 एवं 27522-23 दिनांक 25.08.11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
13. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
14. सिल्वर टैच टेक्नोलोजिस् लिमिटेड, अहमदाबाद (कैम्प ऑफिस आरपीएससी, अजमेर)।
15. राज कॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड (आर.आई.एस.एल.), प्रथम तल सी ब्लॉक, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005।

परीक्षा नियंत्रक